

FORM NO.III

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ ( राज.)

कौन्नी बाई

बनाम

पारलिया

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 222/2024

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

24/07/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती कौन्नी बाई  
पत्नी पित्त श्री हजारी लाल जी जरिया

निवासी- पारलिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

पारलिया (पण्ड देवरी) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 132 135  
136 530/127 0-36 0-74

कुल कीता 0.5 कुल रकबा 1.8150 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम पारलिया (पण्ड देवरी तहसील जिला) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 132 135 136 530/127 0-36 0-74 0-18 0-5650

कुल कीता 0.4 रकबा 1.8150 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500/- रुपये अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(वीनू देवल)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)